संख्या 01 /2017 /2177 / सत्रह-म-2016 ।।।-4अ (20)/ 2006

प्रेषक

दीनानाथ गुप्ता
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 04 जनवरी 2017

विषय : राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद (एन0एफ0डी0बी0) पोषित कार्यक्रम योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत राज्यांश रू0 4.09472 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बंध में ।

महोदय

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 580/ नि0शा0 दिनांक 28-10-2016 एवं पत्र संख्या – 692/ नि0शा0/2016-17 दिनांक 20-12-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन0एफ0डी0बी0) योजना 90 प्रतिशत तथा राज्यांश 10 प्रतिशत के मैचिंग ग्रान्ट से संचालित की जाती है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन0एफ0डी0बी0) पोषित कार्यक्रम योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत पक्ष के आय- व्ययक में राज्यांश हेतु रू0 100.00 लाख का बजट प्राविधानित है। एन0एफ0डी0बी0 हैदराबाद के पत्र संख्या-01-211/ एन0एफ0डी0बी0/ जोन-।।।/यू0पी0 डी0एम0/ 2013 -14 /1339 दिनांक 21-02-2014 द्वारा जनपद लखनऊ दुबग्गा हरदोई रोड मत्स्य बाजार का सुदृढीकरण हेतु रू0 102.33005 लाख का प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया था, जिसमें एन0एफ0डी0बी0 का 90 प्रतिशत अंश रू0 92.10 लाख तथा राज्यांश रू0 10.23005 (दस लाख तेइस हजार पॉच) होता है । उक्त स्वीकृत प्रोजेक्ट रू0 9.21 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि रू0 0.9210 लाख शासनादेश संख्या – 541/सत्रह-म-2013-।।।-4अ(20)/2006

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। एन0एफ0डी0बी0 हैदराबाद के पत्र संख्या- 01-211/ एन0एफ0डी0बी0/ जोन-।।। /यू0पी0 / डी0एम0/ 2013 -14 /665 दिनांक 08-07-2015 द्वारा रू0 36.84 लाख की धनराशि की द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी थी, जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या -19/2015/1233/ सत्रह-म-2013-।।।-4अ(20)/2006 दिनांक 04 अगस्त 2015 द्वारा रू0 4.19403 लाख (चार लाख उन्नीस हजार चार सौ तीन मात्र) राज्यांश की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। इस प्रकार शासन द्वारा रू0 5.11503 (पॉच लाख ग्यारह हजार पॉच सौ तीन मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है ।

2- संयुक्त निदेशक मत्स्य के प्रस्तावानुसार एन0एफ0डी0बी0 हैदराबाद के पत्र संख्या - 01-211/ एन0एफ0डी0बी0/ जोन-।।।/यू0पी0 / 2013 -14 /339 दिनांक 01-09-2016 द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में तृतीय किश्त के रूप में रू0 36.84 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस प्रकार एन0एफ0डी0बी0 द्वारा कुल अवमुक्त अंश (रू0 9.21 लाख +रू0 36.84 लाख +36.84 लाख = 82.89 लाख) के सापेक्ष 10 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि (रू0 0.9210 + रू0 4.19403 लाख + रू0 4.09472 लाख = 9.20975 लाख) होती है। अत: अवशेष राज्यांश (रू0 9.20975 लाख - रू0 5.11503) = रू0 4.09472 लाख (चार लाख नौ हजार चार सौ बहत्तर मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (एन0एफ0डी0बी0) पोषित कार्यक्रम योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित नियमों एवं शर्तो तथा एन0एफ0डी0बी0 /भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं गाइड लाइन्स के अनुसार किया जायेगा ।

(2) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

(3) शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बंध में समय-समय पर निर्गत् शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

2- उपरोक्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन- आयोजनागत - 101- अन्तर्देशीय मछली पालन - 04- मत्स्य विकास कार्यक्रम - 0401- राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड पोषित कार्यक्रम (एन0एफ0डी0बी0 90 /रा0 10) 27- सब्सिडी के नामें डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2016/बी-1-746/दस-2016- 231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय

(दीनानाथ गुप्ता)
विशेष सचिव

संख्या- 01/ 2017/ 2177 (1) /सत्रह-म-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखाधिकारी मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- संयुक्त निदेशक मत्स्य, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com